

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर  
पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 7/2023

उनवान

1. सुरेश चन्द पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी देवन शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर  
प्रार्थी  
बनाम

- 1 राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
- 2 फूली देवी पत्नी भागीरथमल
- 3 महेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथमल
- 4 महावीर पुत्र भागीरथमल
- 5 माया पुत्री भागीरथमल
- 6 रामशरण पुत्र भागीरथमल
- 7 रोशन देवी पुत्री भागीरथमल
- 8 सुरेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथमल
- 9 गोकूल प्रसाद पुत्र राधेश्याम
- 10 मनोज पुत्र मदनलाल
- 11 मुरली देवी पत्नी ओमप्रकाश
- 12 महेश पुत्र रामेश्वर
- 13 मांगी पत्नी रामेश्वर
- 14 फूलचंद पुत्र श्योनारायण
- 15 मोहनलाल पुत्र श्योनारायण
- 16 रेखा देवी पुत्री रामकिशन
- 17 शंकरलाल पुत्र रामकिशन
- 18 संतोष देवी पुत्री रामकिशन
- 19 सुनीता पुत्री गिरधारी
- 20 सविता पुत्री रामकिशन
- 21 सुमन देवी पत्नी विनोद
- 22 श्याम सुन्दर दत्तक पुत्र पोखरमल
- समस्त जाति व्यस्क, जाति ब्राह्मण निवासी- ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
- 23 हनुमान पुत्र धन्ना जाति जाट, निवासी ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।



अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 14/1/23

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 2071 रकबा 0.16 है0, 2090 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/ 2022/ 47 दिनांक 25.5.2022 की पालना में दिनांक 30.6.2022 को पटवारी हल्का शाहपुरा के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 30.6.2022 के बाद से पडौसी खातेदारान भूमि दबाना व मौका स्थिति सीव काट काट कर कब्जा करने की फिराक में है जिस कारण सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर स्थायी सीमा पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना को कोई उपस्थित नहीं आये। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.6.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 30.6.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया


उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 2071 रकबा 0.16 है0, 2090 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 30.6.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक .....31/7/23..... को सरै इजलास सुनाया गया ।



  
उप (मनमोहन मीना)  
उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान